न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 13/19

1. गोपाल पुत्र मूलचंद
2. दुर्गेश पुत्र राधेश्याम जातियान छीपी निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी मु0न0 151/13 निर्णय व डिग्री दिनांक 30.6.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री मो0इस्लाम
2. रेस्पोडेट की और से सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक 20.1.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 151/13 निर्णय व डिग्री दिनांक 30.6.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र धारा 177 आर टी ए इस आशय का पेश किया कि अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 मे से 0.0107 है0 तथा ख0न0 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 कुल रकबा 0.0222 है0 ग्राम वजीरपुर मे लगे टावर की भूमि रकबा 222 वर्ग मीटर मे बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये मोबाईल टावर लगा दिया है। खातेदारी द्वारा खातेदारी शर्तो की अवहेलना की है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/अपीलांट को मौके से बेदखल किया जावे तथा भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो/प्रार्थी तहसीलदार द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का सही विवेचन न कर अपीलार्थी की खातेदारी मे से 222 वर्ग मीटर भूमि को सिवायचक दर्ज करने मे कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलार्थी ने यह भूमि वाणिज्यिक

Scanned by CamScanner

प्रयोजन के लिए क्रय की है। जिसकी रजिस्ट्री भी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.2.08 को तहसीलदार वजीरपुर मे रजिस्टर्ड करवाई है। जहॉ पहले ही भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए क्रय की गई हैं ऐसी स्थिति मे खातेदारी शर्तो की अवहेलना मानने मे मातहत न्यायालय ने कानूनी भूल की है। जबकि भूमि खातेदारी होने पर ही उसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कार्य मे लेने पर ही खातेदारी भूमि की शर्तो का उल्लुंघन माना जावेगा। जबकि उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि खातेदारी भूमि नही मानी जावेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को गौर नही कर इस भूमि को सिवायचक मे दर्ज करने मे कानूनी भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है जो आर्डर प्रांरभ से ही शून्य है उसके लिए कोई मियाद लागू नही होती है उसे कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.6.17 को है। लेकिन उक्त आदेश पर अपीलार्थी से यह कहकर हस्ताक्षर करवाये थे कि उक्त पत्रावली को निरस्त करवाया जा रहा है। लेकिन बाद मे राजस्व अभियान मे उस पर गलत रूप से धारा 177 आर टी ए के दावे को डिग्री कर दिया। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 मे से 0.0107 है0 तथा ख0न0 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 कुल रकबा 0.0222 है0 ग्राम वजीरपुर मे लगे टावर की भूमि रकबा 222 वर्ग मीटर मे बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये मोबाईल टावर लगाया गया है। खातेदार द्वारा खातेदारी शर्तो की अवहेलना करने के कारण ही उसके विरूद्व तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 177 आर टी ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा पेश करने पर अपीलांट को 4 माह मे विवादित आराजीयात की संपरिवर्तन की कार्यवाही करने शर्त पर डिग्री पारित की गई थी। परन्तु अपीलांट द्वारा नियत अवधि मे संपरिवर्तन की कार्यवाही नही करने के कारण ही भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.17 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किये जाने पर व राजीनामे के आधार पर अप्रार्थीगण/अपीलांट को ख0न0 5612/3464 ग्राम वजीरपुर मे बने टांवर की भूमि का 4 माह की अवधि मे संपरिवर्तन करा लेने एवं 4 माह की अवधि मे संपरिवर्तन नही कराने की स्थित मे भूमि ख0न0 5612/3464 रकवा 0.0115 ग्राम वजीरपुर मे से 0.0222 है0 (जहॉ टावर स्थित है) को 4 माह पश्चात सिवायचक दर्ज करने के आदेश

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

पारित किये गये थे परन्तु तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक भू0अ0/17/794 दिनांक 6.11.17 प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.17 को पूर्व पारित डिग्री दिनांक 30.6.17 मे संशोधन कर ख0न0 5612/3464 रकबा 0.0115 है0 के पश्चात ख0न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 अंकित कर निर्णय व डिग्री मे संशोधन किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित डिग्री 4 माह 21 दिन पश्चात जारी की गई है। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा नामा0 संख्या 2150 दिनांक 15.12.17 को निर्णित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि डिग्री मे संशोधन उपरान्त अपीलांट को कार्यवाही हेतु समुचित समय प्रदान नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0न0 151/13 निर्णय व डिग्री दिनांक 30.6.17 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर नियमो के परिपेक्ष्य मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 26.2.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20.1.20

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: